

भूमि सुधार उप-समाहर्ता का न्यायालय, जामताड़ा

आदेश पर कर्क  
कार्रवाई के व  
टिप्पणी तारी  
सहित

आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर

आदेश फलक

वाद सं० - 228/ 1886-87

काशीनाथ सिंह :-

प्रथम पक्ष

:- बनाम :-

16/- आना रैयत मौजा :- कुण्डहित

द्वितीय पक्ष

आदेश

अभिलेख उपस्थापित ।

नोटिस का तामिला प्राप्त है । आवेदक नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं । आवेदक की ओर से कोई पैरवी नहीं की जा रही है । प्रतीत होता है , कि आवेदक को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है ।

अतः पैरवी के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
जामताड़ा ।